



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-11/2023

दिनांक- 08 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी

10 हजार रुपये की रंगदारी मांगने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक- 04.01.2023 को वादी मुकदमा राहुल राय पुत्र अमरनाथ राय सा0 कसारी थाना रानीपुर जनपद मऊ ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि विपक्षी रविकान्त यादव उर्फ बडक पुत्र अशोक यादव निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मेरे शराब ठेका पर आकर मारपीट किया गया व दिनांक 4.1.23 को पुनः शराब ठेका पर आकर असलहा दिखाकर 10 हजार रुपये की रंगदारी मांगने लगा न देने पर जान से मारने की धमकी दिया अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस कारण प्रार्थी काफी डरा व सहमा है। इस सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 08/2023 धारा 386/323/506 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 08.01.2023 को उ0नि0 जगदीश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक हरिजन पुत्र तिलठू राम निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को उसके निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अशोक हरिजन पुत्र तिलठू राम निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 08/2023 धारा 386/323/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र.नि. नन्द कुमार तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 जगदीश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़।
3. हे0कान्स0 सन्तोष यादव थाना सिधारी आजमगढ़।
4. आरक्षी सिद्धार्थ गौड़ थाना सिधारी आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना कन्धरापुर

महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 06.01.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी 1. बंजरंगी निषाद पुत्र स्व0 इन्द्रासन निषाद निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 02. कमलेश निषाद पुत्र सिंहासन निषाद निवासी ग्राम सेहदा थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ घर मे घुसकर छेड़खानी किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 07/2023 धारा 452/354 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 08.01.2023 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बजरंगी निषाद पुत्र स्व0 इन्द्रासन निषाद निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, को उसके घर ग्राम सेहदा से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बंजरंगी निषाद पुत्र स्व० इन्द्रासन निषाद निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०सं० 07/2023 धारा 452/354 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० धर्मराज यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
2. का० दीलीप चौधरी थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
3. का० अजीत कुमार यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना - तरवा

तरवां क्षेत्रान्तर्गत हुयी पुलिस मुठभेड के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने वाला अभियुक्त इन्द्रेश गिरफ्तार; अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना - दिनांक 06.01.23 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुडेहरी के पास पकड़ी रोड के पास हुयी पुलिस मुठभेड में शातिर लुटेरा चन्द्रमा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मुठभेड के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 02 बदमाश फरार हो गये थे तथा फरार बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर तलाश की जा रही थी।

जिसके क्रम में आज दिनांक 08.01.2023 को उ०नि० जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में फरार अभियुक्त इन्द्रेश यादव पुत्र राजाराम यादव सा० कोइलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय 07.25 बजे बहद ग्राम डुभाव पुलिया से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 05/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दि० 06.01.23 को मै व मेरे साथी चन्द्रमा यादव व सुरज यादव हम लोग तीनों लोग लूट करने के इरादे से पकड़ी आये हुए थे शायं काल पुलिस मुठभेड में चेंकिंग के दौरान हमारा एक साथी चन्द्रमा यादव घायल हुआ था। मै और मेरा साथी सूरज मौके से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०सं० 05/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना तरवा आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	04/23	307, 41, 411 भादवि	तरवा	आजमगढ़
2	05/23	3/25 आर्मस एक्ट	तरवा	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त 1. इन्द्रेश यादव पुत्र राजाराम यादव सा० कोइलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बरामदगी -

01 अवैध तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ०नि० जावेद अख्तर थाना तरवा आजमगढ़

हे०का० प्रमोद यादव थाना तरवा आजमगढ़

हे०का० प्रवीण सिंह थाना तरवा आजमगढ़